



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर अवैध गांजे का तस्करी करने वाले अभियुक्त को 06 माह का कारावास व ₹5,000 के अर्थदंड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा० न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना कोतवाली नगर में पंजीकृत मु०अ०सं०- 21/2024 धारा- 8/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा० न्यायालय F.T.C.-1/GST/NDPS Act जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त सोहेल पुत्र हासिम निवासी रौरी थाना मुस्करा जनपद हमीरपुर को 06 माह का कारावास व ₹5,000 के अर्थदंड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी
श्री प्रवीण कुमार
भदौरिया



विवेचक-
उ०नि० श्री सुरेन्द्र
प्रसाद यादव



पैरोकार- थाना
कोतवाली नगर
का० बिजमान सिंह